

फर्द अहकाम

(नियम-26)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़

बनाम

जीवन सिंह पिता अमर सिंह राजपूत निवासी बडीसादडी

प्रकरण संख्या 21/2023 (विविध)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.24	<p>पत्रावली पेश हुई। गैरसायल को गिरफ्तार कर पेश किया। गैरसायल ने 446 जा. फो. का जवाब पेश नहीं करके मौखिक निवेदन किया। मौखिक निवेदन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है। अतः हालात प्रकरण एवं परिस्थितियों को देखते हुए गैरसायल के जमानत मुचलके में से 100-100 कुल 200/- रुपये अक्षरे दो सौ रुपये मात्र/- जब्त किए जाते हैं। शेष राशि माफ की जाती है। गैरसायल से आरोपित राशि राजकोष में जमा करवाई जावे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली प्र. सं. 01/2014 (रा.गु.नि.) के साथ संलग्न की जावे।</p> 	